न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर–ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :– 50/2023

उनवान

1. शारदा देवी पत्नी वीर सिंह उम्र 47 जाति अहीर निवासी ढाणी टाटला की बिशनगढ तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज0।

प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार (भू–धारक) जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर।
2. नायब तहसीलदार उपतहसील मनोहरपुर तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज0।
3. फूली देवी पत्नी बोदू
4. रमेश कुमार पुत्र बोदू
5. राजेन्द्र कुमार पुत्र बोदू

समस्त जाति खाती निवासी बिशनगढ तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज0।

6. कालू पुत्र भरता नाम हजफ 19.07.2023
7. कालू पुत्र जवारा नाम हजफ 19.07.2023
8. जगदीश पुत्र नारायण
9. नान्छा पुत्र भूरा (मृतक)
10. नारायण पुत्र भूरा (मृतक)

10/1. बाबूलाल
10/2 रामजीलाल
10/3 मदन
10/4 पप्पू
10/5 संतोष

} पुत्रान नारायण जाति मीणा निवासी बिशनगढ तह0 शाहपुरा जयपुर

11. मालीराम पुत्र रामकुंवार जाति मीणा निवासी बिशनगढ तह0 शाहपुरा जिला जयपुर
12. रामबक्स पुत्र जीवण नाम हजफ 19.07.2023

अप्रार्थीगण

प्रा0पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट 1956

निर्णय दिनांकः 01/07/24

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। प्रार्थीया के द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि आराजी ख.नं. 180/0.31, 181/0.39 कुल किता 2 कुल रकबा 0.70 है0 वाकै ग्राम बिशनगढ तह0 शाहपुरा प्रार्थी की खातेदारी भूमि स्थित है जिस पर कब्जा कास्त करते चले आ रहे है। जिसका उपतहसीलदार मनोहरपुर के आदेश कमांक/सीमाज्ञान/77 दिनांक 27.12.2022 की पालना में दिनांक 04.01.2023 को पडौसी खातेदारान व ग्राम के मौतबिरान की उपस्थिति में सीमाज्ञान किया गया है। प्रार्थीया की भूमि को पडौसी काश्तकार भूमि को दबाते रहते है जिससे आये दिन विवाद चलता रहता है। प्रार्थी उक्त

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर–ग्रामीण)

सीमाज्ञान के आधार पर प्रार्थी अपनी भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान के पत्थरगढी करवाना चाहता है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अप्रार्थीगण सं0 11 की ओर से एडवोकेट हजारी लाल मीणा उपस्थित। तथा अप्रार्थीगण सं0 6, 7, 9, 10, 12 फौत होना जाहिर किया। दिनांक 06.07.2023 को अप्रार्थीगण सं0 2 से 5 व 8 बावजूद सूचना के कोई उपस्थित नहीं हुए जिनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। दिनांक 19.07.2023 को वकील प्रार्थी ने प्रा0 पत्र बाबत कायम मुकाम पेश किया। कायम मुकाम का प्रा0 पत्र स्वीकार किया गया। अप्रार्थी सं0 06, 07, 12 का नाम हजफ किया जाता है। अप्रार्थी सं0 09, 10 के कायम मुकाम को रिकार्ड पर लिया गया। वकील प्रार्थी ने संशोधित टाईटल पेश किया। अप्रार्थी सं0 10 के कायम मुकाम की तामील हो चुकी है बावजुद तामिल अप्रार्थी सं0 10 के कायम मुकाम कोई उपस्थित नही। इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थी सं0 11 ने आदिनांक तक वकालतनामा पेश नही किया दौराने बहस अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी सं0 11 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया ।

हमने वकील प्रार्थीया की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक मनन किया । प्रकरण में पाया गया कि प्रश्नागत आराजी का दिनांक 04.01.2023 को पटवारी हल्का के द्वारा सीमाज्ञान किया गया है। प्रार्थी के द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा एवं आस पास के खातेदारों द्वारा सीमाचिन्ह के अभाव में सींव डोल काटने से आये दिन होने वाले विवादों की वजह से पत्थरगढी करवाना चाहता है। पत्थरगढी करवाना एक खातेदार/काश्तकार का अधिकार है तथा इसके द्वारा अपनी सीमा के विवाद, सीमा दबाना आदि अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाव का यह एक उपाय है जिसके अभाव में काश्तकार अपनी सीमा चिन्ह से सुरक्षा आदि उपाय नहीं कर सकते है।

आदेश

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीया के हाल खाता संख्या 491 में प्रश्नागत आराजी ख.नं. 180/0.31, 181/0.39 कुल किता 2 कुल रकबा 0.70 है0 वाकै ग्राम बिशनगढ तह0 शाहपुरा प्रार्थीया की खातेदारी भूमि तहसील शाहपुरा का पडौसी खातेदारान को सुचित करते हुए उनकी उपस्थिति में मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 04.01.2023 के अनुसार नियमानुसार पत्थरगढी करवावे। तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 01/07/24 को सरै इजलास सुनाया गया ।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर-ग्रामीण)

अशोक कुमार
उपखण्ड अधिकारी
(उप खण्ड अधिकारी) शाहपुरा
शाहपुरा जिला जयपुर–ग्रामीण